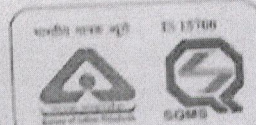


700-2005



संयोजक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



दिनांक- 17/10/2016

पत्र सं- 2085 / वा-10-5 / नि-11/एफएओआर/2015-16
 रोड नं.

श्री वीरेश गुप्ता, आयकर
 मेसर्स एसएचसीएस लेवर्स प्राइवेट
 1007, अरुणाचल बिल्डिंग 19, कालखम्बा रोड,
 नई दिल्ली।

विषय: नूटल संख्या-13/जीएचए-1, उद्योग योजना माजियाबाद में में संशोधित उपविधि-2016 के अनुसार शुल्क की पुनरीकित गणना करने
 हुए हुए योग्य एफएओआर सहित सम्बन्धित स्वीकृत मानचित्र निर्मित करने हेतु देय शुल्क एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयक आपके प्रत्यवेदन दिनांक 2-9-2016 एवं तत्काल में सम्बंधित निर्माण कार्य माजियाबाद द्वारा प्रेषित स्थल संचालित
 गनचिको के अनुसार संशोधित उपविधि-2016 के अनुसार गणना सहित सम्बंधित विषय अपने सम्बन्धी आवेदन का सर्वेक्षण कर जिन
 परीक्षणोपरान्त इकरण उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 7-10-2016 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित
 अनुमोदित किया गया है।

अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुकूल में आपको अवगत करना है कि जहां जिन औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इस कार्यलय
 प्रस्तुत करें तब अनुमोदित मानचित्र स्वीकृति/निर्गत करने सम्बन्धी अग्रसर कार्यवाही की जा सकेगी -

1. उपविधि के अनुसार परिशिष्ट-7.8.9 व 10 जिसपर प्रतिलिपि आवेदी, ऑफिशियल एवं स्टुडरल इन्जीनियर के द्वारा मोहर सहित इस्तफा
 किया हो के 04 सेट मूलरूप में प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार स्टुडरल डिजाईन के 04 प्रमाणित सेट एवं स्टुडरल ड्राइंग्स के 03 सेट जिनमें से प्र-प्लान
 वारपुटि के साथ स्टुडरल डिजाईन तैयार करने वाले स्टुडरल इन्जीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त इस्तफा जिसे एचडीआई
 रुडकी अथवा निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थान के विभाग/प्रकार से प्रति इस्तफा प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. सम्बंधित प्रबंध कार्यलय वस्तुवस्तु योजना माजियाबाद से प्रस्तुत भूखण्ड के भू में अवधारक मुक्तान का प्रमाण पत्र/डिक्लेरेशन
 प्रति प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति से पूर्ण कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा।
4. सीधे निस्तारण हेतु एचडीआई/विपुल आवेदी हेतु स्टुडरल डिजाईन एवं स्टुडरल ड्राइंग्स के 03 सेट को मोहर प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
5. एचडीआई/प्रबंध पत्र पर अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत करनी है।
6. उक्त प्रमाण-माजियाबाद में निर्माण कार्य के सम्बंधित प्रमाण पत्र सहित उपकरण की प्रतिलिपि इस कार्यलय में प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित मानचित्र के सम्बंधित निम्नलिखित तरी पर किये गये निर्माण हेतु शुल्क अतिरिक्त बैंक ऑफ कामर्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ
 33020 आवास एवं विकास परिषद के बैंक खाता संख्या 64272010051840 में जमा कराकर बैंक का कार्यलय में प्रस्तुत करें।

पुनरीकित गननानुसार शुल्कों का विवरण		देय शुल्क धनराशि (₹00)
क्रमांक		69,843.00
1	मानचित्र स्वीकृति शुल्क	अपल पत्र प्रस्तुत है।
2	मलगा शुल्क	1,08,756.00
3	पर्यवेक्षण शुल्क	1,20,090.00
4	से-आउट/प्रबंध-क शुल्क	2,58,99,890.00
5	अन्य योग्य एफएओआर शुल्क	98,87,609.00
6	सेक्टर फीस (ई000000000/एचडीआई के निर्माण के सम्बंध)	65,75,057.00
7	शमन शुल्क	4,24,36,223.00
	कुल योग ₹00	3,09,00.00
	पूर्व में जमा धनराशि ₹00	4,24,33,223.00
	वर्तमान में देय शुल्क ₹00	

(₹00 चार करोड़ चौबीस लाख तैसीस हजार दो सौ ठीस मात्र)

कृपया उपरोक्तानुसार देय सम्बन्धित शुल्क जमा करते हुए वांछित औपचारिकताएं एक महीने के अन्दर पूर्ण करने का कार्य
 तदनुसार मानचित्र निर्मित करने की कार्यवाही कइती जा सके।

माजीव,
 17/10/2016

विशेष कार्यनिर्देश एवं वास्तुविद नियोजक

पुनरा

प्रतिनिधि-1 उप-भू

/उक्त

दिनांक

2016

माजियाबाद-201603

विशेष कार्यनिर्देश एवं वास्तुविद नियोजक